राजस्थान सरकार

रजिस्ट्रीकरण प्रमाण-पत्र

क्रमांक 69/अलवर/95-96

यह प्रमाणित किया जाता है कि नेशनल टेक्निकल एजूकेशन सोसायटी अलवर जिला अलवर का राजस्थान संस्था रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, १९५८ (राजस्थान अधिनियम नं० २८, १९५८) के अन्तर्गत रजिस्ट्रीकरण आज किया गया।

यह प्रमाण-पत्र मेरे हस्ताक्षरों और कार्यालय की सील से आज दिनांक चौदह माह नवम्बर सन् एक हजार नौ सौ पचानवे को अलवर में दिया गया।

National Technical Education Society
Secretary

रजिस्ट्रार संस्थायें
अलवर।

School Manager
Knowledge City School
6th Milestone Delhi-Tijara Highway
Alwar (Rajasthan)

Principal
Knowledge City School
ALWAR (Raj.)

रजि0 नं0 69/94-95

नेशनल टेक्निकल एज्यूकेशन सोसायटी, अलवर

विधान संशोधन/परिवर्तन का तुलनात्मक विवरण।

विधान की धारा	पूर्व विधान	संशोधित/परिवर्तित विधान
2. पंजीकृत कार्यालय तथा कार्यक्षेत्र	इस संस्था का पंजीकृत कार्यालय हकीम जी की गली, अलवर (राज0) है तथा इसका कार्यक्षेत्र राजस्थान राज्य, अलवर क्षेत्र तक सीमित होगा।	इस संस्था का पंजीकृत कार्यालय 4 ध 30 मनुमार्ग हा0 बोर्ड, अलवर है तथा इसका कार्यक्षेत्र राजस्थान राज्य क्षेत्र तक सीमित होगा।
3. संस्था के उद्देश्य	इस संस्था के निम्न लिखित उद्देश्य है:- 1. संस्था द्वारा राज्य में तकनीकी शिक्षा को बढ़ावा देना है व रहेगा। 2. संस्था द्वारा बेरोजगार छात्र एवं छात्राओं को तकनीकी शिक्षा का प्रशिक्षण देना है। 3. संस्था द्वारा तकनीकी शिक्षा के अंतर्गत कम्प्यूटर प्रशिक्षण, रख-रखाव का प्रशिक्षण दिया जावेगा।	इस संस्था के निम्न लिखित उद्देश्य है:- 1. संस्था द्वारा राज्य में तकनीकी शिक्षा, शैक्षणिक शिक्षा एवं प्रोफेशनल शिक्षा को बढ़ावा देना है व रहेगा। साथ ही राज्य में शिक्षा के लिए स्कूल, कॉलेज खोलना भी संस्था का उद्देश्य रहेगा। 2. संस्था द्वारा बेरोजगार छात्र-छात्राओं को सभी प्रकार की शिक्षा देकर रोजगार दिलाने में उनकी सहायता करना, शिक्षा एवं रोजगार सम्बन्धी कैम्प लगाना, पिछड़े वर्गो के लिए गरीबी उन्मूलन व अन्य योजनाओं का लाभ दिलवाना व उसके सदुपयोग को निश्चित करना, विकास के लिए योजनाएं बनाना एवं बनाई गई योजनाओं के लिए सरकारी व गैरसरकारी संस्थाओं, बैंक, देशी व विदेशी वित्तीय संस्थाओं से ग्रान्ट प्राप्त करना तथा ग्रान्ट का सदुपयोग करना। सरकारी व गैर सरकारी स्वयंसेवी संस्थाओं के साथ प्राकृतिक संसाधन, शिक्षा एवं सामाजिक विकास की योजनाएं बनाकर उनका क्रियान्वयन करना। 3. संस्था द्वारा शिक्षा के अंतर्गत कम्प्यूटर, मैनेजमेंट, व्यवसायिक, कला, विज्ञान, अभियांत्रिकी एवं फैशन आदि का प्रशिक्षण दिया जावेगा।

सूची फाईल की गई
दिनांक 19/12/06 रजिस्ट्रार संस्थाएं अलवर

अध्यक्ष — मंत्री — कोषाध्यक्ष

उप रजिस्ट्रार सहकारी समितियाँ, अलवर 02/03/2020

School Manager
Knowledge City School
6th Milestone Delhi-Tijara Highway
Alwar (Rajasthan)

National Technical Education Society
Secretary

Principal
Knowledge City School
ALWAR (Raj.)

नेशनल टेक्निकल एज्युकेशन ~~समिति~~/सोसायटी/~~संस्थान~~ सोसायटी, अलवर (राज०)

(4/84-85)

संघ विधान-पत्र

1. संस्था का नाम : इस संस्था का नाम नेशनल टेक्निकल एज्युकेशन सोसायटी अलवर समिति/सोसायटी/संस्थान है व रहेगा।

2. पंजीकृत कार्यालय तथा कार्यक्षेत्र : इस संस्था का पंजीकृत (राज०) कार्यालय हलवाई की गली, अलवर (राज०) है तथा इसका कार्यक्षेत्र राजस्थान राज्य क्षेत्र तक सीमित होगा।

3. संस्था का उद्देश्य : इस संस्था के निम्न लिखित उद्देश्य है—

(1) संस्था द्वारा ~~छात्र वर्ग को~~ तकनीकी शिक्षा को बढ़ावा देना है व रहेगा। ✓

(2) संस्था द्वारा बेरोजगार छात्रों को तकनीकी शिक्षा ~~देकर रोजगार दिलाना रहेगा।~~ सुविधा देना है।

(3) संस्था द्वारा तकनीकी शिक्षा के अन्तर्गत कम्प्यूटर प्रशिक्षण व रख रखाव, ~~इलेक्ट्रानिक~~, रेडियो रिपेयर का ~~कार्य~~ आदि का प्रशिक्षण दिया जायेगा ~~एवं प्रशिक्षण के बाद उपयुक्त रोजगार की व्यवस्था कराने का प्रयत्न सोसायटी करेगी।~~

उपरोक्त उद्देश्यों की पूर्ति में कोई लाभ निहित नहीं है।

4. संस्था का कार्यभार संस्था के नियमानुसार एक कार्यकारिणी समिति को सौंपा गया है, जिसके प्रथम वर्तमान पदाधिकारी निम्नलिखित हैं:—

क्र.सं.	नाम व पिता का नाम	व्यवसाय	पूर्ण पता	पद
1.	श्री कैलाश खण्डेलवाल (B.Com LLB) पुत्र स्व० श्री [illegible]	व्यापार	खण्डेलवाल भवन हलवाई की गली, अलवर।	अध्यक्ष
2.	श्री लक्ष्मी नारायण शर्मा पुत्र श्री मदन गोपाल शर्मा	व्यापार	[illegible] की गली अलवर।	उपाध्यक्ष
3.	श्री गिरधारी लाल महावर पुत्र श्री रेवती प्रसाद महावर	नौकरी	[illegible], अलवर	मंत्री
4	श्री दिलीप प्रसाद पुत्र श्री रघुनन्दन प्रसाद	मैकेनिक	[illegible] का मोहल्ला, अलवर	उपमंत्री
5	श्री हरद्वारी लाल पुत्र श्री ~~[illegible]~~ रोशन लाल	नौकरी	2 क 13 [illegible] विहार, अलवर।	कोषाध्यक्ष
6	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
7	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]

अध्यक्ष

मंत्री

कोषाध्यक्ष

President

National Technical Education Society

Secretary

School Manager
Knowledge City School
th Milestone Delhi-Tijara Highway
Alwar (Rajasthan)

Principal
Knowledge City School
ALWAR (Raj.)

5. हम निम्न हस्ताक्षरकर्त्ता, जिनके नाम, व्यवसाय व पूर्ण पते निम्न प्रकार हैं—इस संघ विधान पत्र के अन्तर्गत इस संस्था के रूप में गठित होने व इसे रजिस्ट्रीकृत करवाने के इच्छुक है—

क.सं.	नाम व पिता का नाम	व्यवसाय	पूर्णपता	हस्ताक्षर
1	कैलाश चन्द खण्डेलवाल पुत्र स्व० श्री रामजीदास गुप्ता	व्यापार	हलीम जी की गली, अलवर।	[signature]
2.	लक्ष्मी नारायण शर्मा पुत्र श्री मदन गोपाल शर्मा	व्यापार	मालन की गली, अलवर।	[signature]
3.	गिरधारी लाल माहवर पुत्र श्री देवकी प्रसाद माहवर	नौकरी	मौकम सैयद, अलवर।	[signature]
4.	दिलीप प्रसाद पुत्र रघुनन्दन प्रसाद	मैकेनिक	हरबक्स का मोहल्ला, अलवर।	[signature]
5	हरद्वारी लाल पुत्र श्री रोशन लाल	नौकरी (Education)	2 क 13, अरावली विहार, अलवर।	[signature]
6.	नरेन्द्र कुमार शर्मा पुत्र श्री कृष्ण गोपाल शर्मा	नौकरी (Education)	मालन की गली, अलवर।	नरेन्द्र शर्मा
7.	मनोज कुमार पुत्र श्री राधेश्याम	दुकान	सब्जी मण्डी, अलवर।	[signature]
8.	बृजराज सैंगाल पुत्र श्री भगवान सिंह	नौकरी (मिलि०)	हरबक्स का मोहल्ला, अलवर।	[signature]
9.	प्रकाश चन्द पुत्र श्री भगवान सहाय	व्यापार	हिन्दू पाडा, अलवर	[signature]
10.	सुशील कुमार पुत्र श्री [illegible]	नौकरी (PA to S.P.)	सरस्वती स्कूल के पीछे, अलवर।	[signature]
11.	कान्ती पालावत पत्नी किशन चन्द पालावत	व्यापार	के० के० एजेन्सीज, लेडिज पार्क, अलवर।	[signature]
12.	महेश कु० बजाज पुत्र श्री मदन बजाज	नौकरी (Irrigation)	मालन की गली, अलवर।	महेश
13.	[illegible] कुमार गुप्ता पुत्र श्री चिरन्जी लाल [illegible]	नौकरी ([illegible])	48. [illegible], अलवर	[signature]
14.	प्रवीण जैन पुत्र श्री पी० जैन	व्यापार	अशोका सिनेमा, अलवर	प्रवीण
15.	राजेन्द्र राठौड़ पुत्र श्री महावीर प्रसाद राठौड़	व्यापार	लौहारों का मोहल्ला, अलवर।	[signature]

निम्न हस्ताक्षरकर्त्ता प्रमाणित करते हैं कि उपरोक्त हस्ताक्षरकर्त्ताओं को हम जानते हैं व उन्होंने समक्ष अपने अपने हस्ताक्षर किये हैं। हम यह भी घोषित करते हैं कि हम संस्था के सदस्य नहीं हैं।

[signature] (R. K. [illegible])
हस्ताक्षर
व्यवसाय/पूर्णपता

69/अलवर/94-95
[illegible]
हस्ताक्षर
14-11-94 नाम/व्यवसाय/पूर्णपता

National Technical Education Society
Secretary

Principal
Knowledge City School
ALWAR (Raj.)

School Manager
Knowledge City School
6th Milestone Delhi-Tijara Highway
Alwar (Rajasthan)

रजिस्ट्रार संस्थाएं अलवर (राज०)

मन्त्री
[signature]
Secretary

कोषाध्यक्ष
Treasurer

नाम संस्था नेशनल टैक्निकल एज्यूकेशन सो, ~~समिति~~/सोसायटी/~~संस्थान~~ — (1)

विधान (नियमावली)

1 संस्था का नाम : इस संस्था का नाम नेशनल टैक्निकल एज्यूकेशन सोसायटी, अलवर (राज.) ~~समिति~~/सोसायटी/~~संस्थान~~ है व रहेगा

2 पंजीकृत कार्यालय तथा कार्यक्षेत्र : इस संस्था का पंजीकृत कार्यालय ~~[illegible]~~ जौली, अलवर है तथा इसका कार्यक्षेत्र (राजस्थान राज्य) क्षेत्र तक सीमित होगा ।

3 संस्था का उद्देश्य : इस संस्था के निम्नलिखित उद्देश्य हैं—

(1) संस्था द्वारा ~~[illegible]~~ तकनीकी शिक्षा को बढ़ावा देना है व रहेगा।

(2) संस्था द्वारा बेरोजगार छात्रों को तकनीकी शिक्षा ~~देकर रोजगार दिलाना रहेगा~~। को प्रशिक्षण देना है।

(3) संस्था द्वारा तकनीकी शिक्षा के अन्तर्गत कम्प्यूटर प्रशिक्षण, रख-रखाव, ~~[illegible]~~ आदि का प्रशिक्षण दिया जायेगा ~~एवं प्रशिक्षण के बाद उपयुक्त रोजगार की व्यवस्था कराने का प्रयत्न सोसायटी~~ करेगी।

उपरोक्त उद्देश्यों की पूर्ति में कोई लाभ निहित नहीं है।

4 सदस्यता— निम्न योग्यता रखने वाले व्यक्ति संस्था के सदस्य बन सकेंगे
1 संस्था के कार्य क्षेत्र में निवास करते हों ।
2 बालिग हों ।
3 पागल, दीवालिये न हो ।
4 संस्था के उद्देश्यों में रुचि व आस्था रखते हों ।
5 संस्था के हित को सर्वोपरि समझते हों ।

National Technical Education Society
Secretary

Principal
Knowledge City School
ALWAR (Raj.)

School Manager
Knowledge City School
6th Milestone Delhi-Tijara Highway
Alwar (Rajasthan)

रजिस्ट्रार संस्थाएं अलवर (राज.)

अध्यक्ष	मन्त्री	कोषाध्यक्ष
President	Secretary	Treasurer

(12)

5 सदस्यों का वर्गी करण

संस्था के सदस्य निम्न प्रकार वर्गीकृत भी किये जा सकेंगे।
1 संरक्षक
2 विशिष्ठ
3 सम्माननीय
4 साधारण

6 सदस्यों द्वारा प्रदत्त शुल्क व चन्दा

उपनियम संख्या 4 में अंकित सदस्यों द्वारा निम्न प्रकार शुल्क व चन्दा देय होगा।

1 संरक्षक— राशि......500/-......~~वार्षिक~~/आजन्म
2 विशिष्ठ— राशि......400/-......~~वार्षिक~~/आजन्म
3 सम्मानीय— राशि......300/-......वार्षिक
4 साधारण— राशि......251/-......वार्षिक

उक्त राशि एक मुश्त अथवा ~~रुपये~~......(एक मुश्त)......
~~की मासिक~~ की दर से जमा कराई जा सकेगी।

7 सदस्यता से निष्कासन

संस्था के सदस्यों का निष्कासन निम्न प्रकार किया जा सकेगा
1 मृत्यु होने पर
2 त्याग पत्र देने पर
3 संस्था के विपरीत काम करने पर।
4 प्रबन्धकारिणी द्वारा दोषी पाये जाने पर।

उक्त प्रकार के निष्कासन की अपील 15 दिन के अन्दर अन्दर लिखित में आवेदन करने पर साधारण सभा के निर्णय हेतु वैध समझी जावेगी तथा साधारण सभा के बहुमत का निर्णय अन्तिम होगा।

8 साधारण सभा

संस्था के उपनियम संख्या 5 में वर्णित समस्त प्रकार के सदस्य मिलकर साधारण सभा का निर्माण करेंगे—

National Technical Education Society
Secretary

9 साधारण सभा के अधिकार और कर्त्तव्य

साधारण सभा के निम्न अधिकार और कर्त्तव्य होंगे:—
1 प्रबन्धकारिणि का चुनाव करना।
2 वार्षिक बजट पारित करना।
3 प्रबन्धकारिणी द्वारा किये गये कार्यों की समीक्षा करना व पुष्टि करना।

School Manager
Knowledge City School
6th Milestone Delhi-Tijara Highway
Alwar (Rajasthan)

Principal
Knowledge City School
ALWAR (Raj.)

— 3 —

अध्यक्ष	मन्त्री	कोषाध्यक्ष
President	Secretary	Treasurer

13

4 संस्था के कुल सदस्यों के 2/3 बहुमत से विधान में संशोधन परिवर्तन तथा परिवर्धन करना। (रजिस्ट्रार के कार्यालय में फाईल कराया जाकर प्रमाणित प्रतिलिपि प्राप्त कर लागू होगा।

10 साधारण सभा की बैठकें

1 साधारण सभा की वर्ष में एक बैठक अनिवार्य होगी, लेकिन आवश्यकता पड़ने पर अध्यक्ष/मन्त्री द्वारा कभी भी बुलाई जा सकेगी।

2 साधारण सभा की बैठक का कोरम कुल सदस्यों का 1/3 होगा।

3 बैठक की सूचना 7 दिवस पूर्व व अत्यावश्यक बैठक की सूचना 3 दिन पूर्व दी जावेगी।

4 कोरम के अभाव में बैठक स्थगित की जा सकेगी जो पुनः सात दिन पश्चात् निर्धारित स्थान व समय पर आहूत की जा सकेगी। ऐसी स्थगित बैठक में कोरम की कोई आवश्यकता भी नहीं होगी। लेकिन विचारणीय विषय वही होंगे जो पूर्व एजेण्डा में थे।

5 संस्था के 1/3 अथवा 15 सदस्य इनमें से जो भी कम हो के लिखित आवेदन करने पर मन्त्री/अध्यक्ष द्वारा एक माह के अन्दर अन्दर बैठक आहुत करना अनिवार्य होगा। निर्धारित अवधि में अध्यक्ष/मन्त्री द्वारा बैठक न बुलाये जाने पर उक्त 15 सदस्यों में से कोई भी 3 सदस्य नोटिस जारी कर सकेंगे तथा इस प्रकार की बैठक में होने वाले समस्त निर्णय वैधानिक एवं सर्व मान्य होंगे।

11 कार्यकारिणी का गठन

संस्था के कार्य को सुचारू रूप से चलाने के लिये एक प्रबन्ध कारिणी का गठन किया जावेगा, जिसके पदाधिकारी व सदस्य निम्न प्रकार होंगे।

1	अध्यक्ष	एक
2	उपाध्यक्ष	एक
3	मन्त्री	एक
4	उप मन्त्री	एक

4—

National Technical Education Society
Secretary

Principal
Knowledge City School
ALWAR (Raj.)

School Manager
Knowledge City School
6th Milestone Delhi-Tijara Highway
Alwar (Rajasthan)

अध्यक्ष
President

मन्त्री
Secretary

कोषाध्यक्ष
Treasurer
Treasurer

(14)

5 कोषाध्यक्ष एक
6 सदस्य सात 2

(उक्त पदों के अतिरिक्त अन्य पद या पद नाम परि-वर्तन किए जावे तो यहां अंकित करें कम रखना चाहें तो कम रखलें।
वह इस प्रबन्धकारिणी में 5 पदाधिकारी व 12 सदस्य कुल 17 सदस्य होंगे।

12 कार्यकारिणी का निर्वाचन

1 संस्था की प्रबन्धकारिणी का चुनाव 2 वर्ष की अवधि के लिये साधारण सभा द्वारा किया जावेगा।
2 चुनाव प्रत्यक्ष/अप्रत्यक्ष प्रणाली द्वारा किया जावेगा। चुनाव अधिकारी की नियुक्ति प्रबन्ध कारिणी द्वारा की जावेगी।

13 कार्यकारिणी के अधिकार और कर्त्तव्य

संस्था की कार्यकारिणी के निम्नलिखित अधिकार व कर्त्तव्य होंगे।

1 सदस्य बनाना निष्कासित।
2 वार्षिक बजट तैयार करना।
3 संस्था की सम्पत्ति की सुरक्षा करना।
4 वैतनिक कर्मचारियों की नियुक्ति करना तथा उनके वेतन, भत्तों का निर्धारण करना।
5 साधारण सभा द्वारा पारित निर्णयों को क्रियान्वित करना
6 कार्य व्यवस्था हेतु उप समितियां बनाना।
7 अन्य कार्य जो संस्था के हितार्थ हो, करना।

14 कार्यकारिणी की बैठकें

1 कार्यकारिणी की वर्ष में कम से कम 5 बैठकें आवश्यक होंगी। लेकिन आवश्यकता होने पर बैठक अध्यक्ष/मन्त्री द्वारा कभी भी बुलाई जा सकेगी।
2 बैठक का कोरम प्रबन्धकारिणी की कुल संख्या के आधे से अधिक होगा।

—5—

National Technical Education Society
Secretary

School Manager
Knowledge City School
6th Milestone Delhi-Tijara Highway
Alwar (Rajasthan)

Principal
Knowledge City School
ALWAR (Raj.)

अध्यक्ष मन्त्री कोषाध्यक्ष

Secretary Treasurer

(15)

3 बैठक की सूचना प्रायः 7 दिन पूर्व दी जावेगी तथा अत्यावश्यक बैठक की सूचना परिचालन से कम समय में भी दी जा सकती है।

4 कोरम के अभाव में बैठक स्थगित की जा सकेगी जो पुनः दूसरे दिन निर्धारित स्थान व समय पर होगी ऐसी स्थगित बैठक में कोरम की आवश्यकता नहीं होगी। लेकिन विचारणीय विषय वहीं होंगे जो पूर्व एजेण्डा में थे। ऐसी स्थगित बैठक में उपस्थित सदस्यों के अतिरिक्त प्रबन्धकारिणी के कम से कम दो पदाधिकारियों की उपस्थिति अनिवार्य होगी। इस सभा की कार्यवाही की पुष्टि आगामी आम सभा में कराना आवश्यक होगा।

15 प्रबन्धकारिणी के पदाधिकारियों के अधिकार व कर्त्तव्य

संस्था की प्रबन्धकारिणी के पदाधिकारियों के अधिकार व कर्त्तव्य निम्न प्रकार होंगे—

अध्यक्ष—

1 बैठकों की अध्यक्षता करना।
2 मत बराबर आने पर निर्णायक मत देना।
3 बैठकें आहूत करना।
4 संस्था का प्रतिनिधित्व करना।
5 संविदा तथा अन्य दस्तावेजों पर हस्ताक्षर करना।
6 अन्य।

उपाध्यक्ष—

1 अध्यक्ष की अनुपस्थिति में अध्यक्ष के समस्त अधिकारों का प्रयोग करना।
2 प्रबन्ध कारिणी द्वारा प्रदत्त अन्य अधिकारों का उपयोग करना।

मन्त्री—

1 बैठकें आहूत करना।
2 कार्यवाही लिखना तथा रिकार्ड करना।
3 आय व्यय पर नियन्त्रण करना।
4 वैतनिक कर्मचारियों पर नियन्त्रण करना तथा उनके वेतन व यात्रा बिल आदि पास करना।
5 संस्था का प्रतिनिधित्व करना व कानूनी दस्तावेजों पर संस्था की ओर से हस्ताक्षर करना।

—6—

National Technical Education Society
Secretary

Principal
Knowledge City School
ALWAR (Raj.)

School Manager
Knowledge City School
6th Milestone Delhi-Tijara Highway
Alwar (Rajasthan)

अध्यक्ष | मन्त्री | कोषाध्यक्ष
President | Secretary | Treasurer

16

6 पत्र व्यवहार करना।

7 सम्पत्ति की सुरक्षा हेतु अन्य कार्य जो आवश्यक हों।

उपमन्त्री–

1 मन्त्री की अनुपस्थिति में मन्त्री पद के समस्त कार्य संचालन करना।

2 अन्य कार्य जो प्रबन्धकारिणी/मन्त्री द्वारा सौंपे जावें।

कोषाध्यक्ष—

1 वार्षिक लेखा जोखा तैयार करना।

2 दैनिक लेखों पर नियन्त्रण रखना।

3 चन्दा/शुल्क/अनुदान आदि प्राप्त कर रसीद देना।

4 अन्य प्रदत्त कार्य सम्पन्न कराना

16 संस्था का कोष

संस्था का कोष निम्नप्रकार संचित होगा –

1 चन्दा

2 शुल्क

3 अनुदान

4 सहायता

5 राजकीय अनुदान

1 उक्त प्रकार से संचित राशि किसी राष्ट्रीयकृत बैंक में सुरक्षित की जावेगी।

2 अध्यक्ष/मन्त्री/कोषाध्यक्ष में से किन्ही दो पदाधिकारियों के संयुक्त हस्ताक्षरों से बैंक से लेन देन संभव होगा।

17 कोष सम्बन्धी विशेषाधिकार

1 संस्था के हित में तथा कार्य व समय की आवश्यकतानुसार निम्न पदाधिकारी संस्था की राशि एक मुश्त स्वीकृत कर सकेगें।

1 अध्यक्ष 3,000/- रुपये

2 मन्त्री 2,000/- रुपये

3 कोषाध्यक्ष 1,000/- रुपये

उपरोक्त राशि का अनुमोदन प्रबन्धकारिणी से कराया जाना आवश्यक होगा।

—7—

National Technical Education Society
Secretary

School Manager
Knowledge City School
6th Milestone Delhi-Tijara Highway
Alwar (Rajasthan)

Principal
Knowledge City School
ALWAR (Raj.)

अध्यक्ष मन्त्री कोषाध्यक्ष

Secretary Treasurer

(17)

संस्था का अंकेक्षण	संस्था के समस्त लेखे जोखों का वार्षिक अंकेक्षण कराया जावेगा ।
संस्था के विधान में परिवर्तन	संस्था के विधान में आवश्यकतानुसार साधारण सभा के कुल सदस्यों के 2/3 बहुमत से परिवर्तन, परिवर्द्धन अथवा संशोधन किया जा सकेगा जो राजस्थान संस्था रजिस्ट्रीकरण अधिनियम 1958 की धारा 12 के अनुरूप होगा ।
संस्था का विघटन	यदि संस्था का विघटन आवश्यक हुआ तो संस्था की समस्त चल व अचल सम्पत्ति समान उद्देश्य वाली संस्था को हस्तान्तरित करदी जावेगी लेकिन उक्त समस्त कार्यवाही राजस्थान संस्था रजिस्ट्रीकरण अधिनियम 1958 की धारा 13 व 14 के अनुरूप होगी ।
संस्था के लेखे जोखे का निरीक्षण	रजिस्ट्रार संस्थाएं अलवर को संस्था के निरीक्षण का पुर्ण अधिकार होगा व उनके द्वारा दिए गये सुझावों की पूर्ति की जावेगी ।

प्रमाणित किया जाता है कि उक्त विधान (नियमावली) नेशनल टैक्नीकल एज्यूकेशन सोसायटी, अलवर समिति/सोसायटी/संस्थान की सही व सच्ची प्रतिलिपि है ।

अध्यक्ष President   मन्त्री   कोषाध्यक्ष

(Seal: रजिस्ट्रार संस्थाएं अलवर (राज.))

क्र. 69/अलवर/94-95
नेशनल टैक्नीकल एज्यूकेशन सोसायटी अलवर
रजिस्ट्रार
14-11-94

National Technical Education Society
Secretary

02/03/2020
उप रजिस्ट्रार
सहकारी समितियाँ, अलवर

School Manager
Knowledge City School
6th Milestone Delhi-Tijara Highway
Alwar (Rajasthan)

Principal
Knowledge City School
ALWAR (Raj.)

नेशनल टैक्निकल एज्युकेशन सोसायटी अलवर (NTES)

पंजियन क्रमांक 69/अलवर/ 1994-95

मो.नं.9414016577

विधान संशोधन का तुलनात्मक विवरण

विधान की धारा सं.	पूर्व विधान	वर्तमान संशोधित विधान
3. संस्था के उद्देश्य	इस संस्था के निम्न लिखित उद्देश्य होंगे :- 1. संस्था द्वारा राज्य में तकनीकी शिक्षा, शैक्षणिक शिक्षा एवं प्रोफेशनल शिक्षा को बढावा देना है व रहेगा। साथ ही राज्य मेंशिक्षा के लिए स्कूल, कॉलेज खोलना भी संस्था का उद्देश्य रहेगा। 2. संस्था द्वारा बेरोजगार छात्र-छात्राओं को सभी प्रकार की शिक्षा देकर रोजगार दिलाने में उनकी सहायता करना, शिक्षा एवं रोजगार सम्बन्धि कैम्प लगाना, पिछडे वर्गो के लिए गरीबी उन्मूलन व अन्य योजनाओं का लाभ दिलवाना व उसके सदुउपयोग को निश्चित करना। विकास के लिए योजनाएं बनाना एवं बनाई गई योजनाओं केलिए सरकारी व गैर सरकारी संस्थाओं ,बैंक, देशी व विदेशी वित्तीय संस्थाओं से ग्रान्ट प्राप्त करना तथा ग्रान्ट का सदुउपयोग करना। सरकारी व गैर सरकारी स्वयं सेवी संस्थाओं के साथ प्राकृतिक संसाधन,शिक्षा एवं सामाजिक विकास की योजनाएं बनाकर उनका क्रियान्वयन करना। 3. संस्था द्वारा शिक्षा के अन्तर्गत कम्प्यूटर, मैनेजमैन्ट, व्यवसायिक , कला विज्ञान, अभियांत्रिकी, एवं फैशन आदि का प्रशिक्षण दिया जावेगा।	इस संस्था के निम्न लिखित उद्देश्य होंगे :- 1. संस्था द्वारा राज्य में तकनीकी शिक्षा, शैक्षणिक शिक्षा एवं प्रोफेशनल शिक्षा को बढावा देना है व रहेगा। साथ ही राज्य मेंशिक्षा के लिए स्कूल, कॉलेज खोलना भी संस्था का उद्देश्य रहेगा। 2. संस्था द्वारा बेरोजगार छात्र-छात्राओं को सभी प्रकार की शिक्षा देकर रोजगार दिलाने में उनकी सहायता करना, शिक्षा एवं रोजगार सम्बन्धि कैम्प लगाना, पिछडे वर्गो के लिए गरीबी उन्मूलन व अन्य योजनाओं का लाभ दिलवाना व उसके सदुउपयोग को निश्चित करना। विकास के लिए योजनाएं बनाना एवं बनाई गई योजनाओं केलिए सरकारी व गैर सरकारी संस्थाओं ,बैंक, देशी व विदेशी वित्तीय संस्थाओं से ग्रान्ट प्राप्त करना तथा ग्रान्ट का सदुउपयोग करना। सरकारी व गैर सरकारी स्वयं सेवी संस्थाओं के साथ प्राकृतिक संसाधन,शिक्षा एवं सामाजिक विकास की योजनाएं बनाकर उनका क्रियान्वयन करना। 3. संस्था द्वारा शिक्षा के अन्तर्गत कम्प्यूटर, मैनेजमैन्ट, व्यवसायिक , कला विज्ञान, अभियांत्रिकी, एवं फैशन आदि का प्रशिक्षण दिया जावेगा। 4. महिलाओं एवं दिव्यांगजन, विकालांग के उत्थान एवं सशक्तिकरण के लिए अनुदानित/ गैर-अनुदानित व्यवसायिक, शिक्षण प्रशिक्षण पाठयक्रम / कार्यशाला आयोजित करना। 5. देश/राज्य के शिक्षित/अशिक्षित बेरोजगार युवक एवं युवतियों को रोजगार/स्वरोजगार उपलब्ध करवाने के लिए आवश्यक व्यवसायिक शिक्षा/प्रशिक्षण एवं जागरूकता संचालन करना। 6. केन्द्र/राज्य सरकार द्वारा संचालित विभिन्न कौशल विकास प्रशिक्षण योजनाओं का संचालन करना। 7. सी एस आर अनुदान द्वारा विभिन्न कार्यक्रम यथा प्रशिक्षण, जागरूकता अभियान, नेतृत्व विकास कैम्प आदि के द्वारा समाज के सभी वर्गो को लाभान्वित करना। 8. छात्र-छात्राओं के अध्ययन व आवास की व्यवस्था हेतु छात्रावासों की स्थापना करना व उनका उचित संचालन करना। 9. राज्य के ग्रामीण एवं आदिवासी क्षेत्रों में शिक्षा व व्यवसायिक प्रशिक्षण देना। 10. खेलों को प्रोत्साहन हेतु खेल मैदान ,खेल प्रशिक्षण केन्द्र की व्यवस्था करना तथा समय समय पर जिला एवं राज्य स्तर पर खेदकूद प्रतियोगिआए आयोजित करना। 11. बाल विवाह , दहेज प्रथा उन्मूलन, जन संख्या नियंत्रण, पर्यावरण सुधार प्रदुषण निवारण, पर्यटन विकास, भू संरक्षण, जल संरक्षण वृक्षारोपण, वन विकास, सूखा व बाढ राहत, खनिज विकास एवं बेरोजगारी निवारण हेतु रचनात्मक कार्य करना। 12. स्वास्थ रक्षा, एडस, कुष्ट, अंधता, पल्स पोलियों, पैरा मैडिकल, नशामुक्ति आदि निवारण एवं निरपेक्ष महिला, शिशु पोषाहार व परिवार कल्याण के कार्य करना। अस्पताल की स्थापना कर संचालन करना। 13. पेय जल, आवास, शोचालय, सौर उर्जा, बायोगैस, उन्नत चूल्हे, यातायात, औद्योगिक विकास, ग्रामीण विकास, उपभोक्ता जागरूकता, उन्नतकृषि, पशुपालन एवं संरक्षण हेतु कार्य करना।

Contd...2.

National Technical Education Society NTES

Signature valid

Digitally signed by Praveen Kumar Kalla
Designation : REGISTRAR
Date: 2022.02.14 16:46:18 IST
Reason: Approved
Location:

School Manager
Knowledge City School
6th Milestone Delhi-Tijara Highway
Alwar (Rajasthan)

National Technical Education Society
Secretary

Principal
Knowledge City School
ALWAR (Raj.)

नेशनल टैक्निकल एज्युकेशन सोसायटी अलवर (NTES)

14. कला संस्कृति, वेद वेदान्त योग पुरातत्व, ज्योतिष, आयुर्वेद एवं दुर्गम वन्य प्राणियों के संरक्षण व विकास हेतु कार्य करना।
15. ग्रामीण क्षेत्र में नेत्रहीन एवं विकलांग व्यक्तियों के लिए कैम्पों का आयोजन करवाना, रोजगार दिलाने एवं मूक बधिर विकलांग बच्चों के लिए आवासिय एवं सामान्य शिक्षा के लिए संचालन हेतु योजनाओं का प्रयास करना।
16. ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्रों मेंअल्पसंख्यक वर्ग व वांछित वर्ग उत्थान के लिए प्रशिक्षण जागरूकता कार्यक्रम, नैतृत्व विकास कैम्प, निःशुल्क कोचिंग, रिसर्च वर्क, कम्प्युटर प्रशिक्षण व छात्रावास संचालन करना।
17. बाल श्रमिक स्कूलों का संचालन करना, बाल श्रमिकों का सर्वे एवं उनके उत्थान के लिए कार्य करने का प्रयास करना।
18. पर्यावरण प्रदुषण जैसे ग्रीन हाउस, गैसों के उत्सर्जन में कमी तथा इनके खतरनाक प्रभावों से आम जनता को बचाने तथा पर्यावरण की शुद्धता बनाये रखने से सम्बन्धित कार्य करना।
19. कृषि क्षेत्र से सम्बन्धित उत्पादों का उत्पादन, दलहन, तिलहन, संपादन ,दुग्ध उत्पादन, मत्स्य पालन, पशु, मधुमक्खी पालन को बढावा देने हेतु गौ वंश वृद्धि , जैविक उत्पात उत्पादन के कार्य करना तथा प्रशिक्षण प्रदान करना। गांवो में कृषि विज्ञान एवं किसान सेवा केन्द्र स्थापित कर सूचना प्रौद्योगिकी का लाभ उठाने में "ग्रामीणें का सहयोग करना जैसे किसान गोष्ठियों का आयोजन कराकर एवं कृषि बागवानी, पशुपालन, फसल , जल प्रबन्धन, मृदा संरक्षण आदि का ज्ञान कराना । परम्परागत तथा रसायनिक खादो का वैज्ञानिक उपयोग आदि व पीने के पानी की व्यवस्था हेत कुआ , तालाब, नल, कूप, बावडी, हैण्डपम्प, कुंडा, एनिकट आदि बनाना।
20. जल ग्रहण पर कार्य करना ,वर्षा जल को संग्रह करने तथा उसके संग्रहण पर कार्य करना।
21. आर्टीजन हेण्डीकॉफट संरक्षण हेतु हस्तशिल्प विकास के प्रशिक्षण/कार्यक्रम/डोईगोस्टिक स्टेडी व ऊन एवं वस्त्र लघु खनिज धर्म क्षेत्र में कार्य करना।
22. यातायात सुरक्षा जगरूकता प्रदर्शनि आयोजन , प्रशिक्षण एवं ड्राइविंग स्कूलों का संचालन करना।
23. स्वच्छता अभियान के तहत शोचालय निर्माण, शुद्ध जल व अशुद्ध जल पानी उपयोग न करने के प्रति जागरूकता फैलाना तथा फ्लोराईट रहित पानी उपलब्ध कराने से सम्बन्धित कार्य करना।
24. राज्य एवं केन्द्र सरकार द्वारा संचालि विभिन्न योजनाओं का प्रचार प्रसार करना।
25. सरकारी व गैर सरकारी योजनाओं में टेण्डर आदि के द्वारा आवेदन कर कार्य करना।

अध्यक्ष मंत्री कोषाध्यक्ष

National Technical Education Society NTES

School Manager
Knowledge City School
6th Milestone Delhi-Tijara Highway
Alwar (Rajasthan)

Signature valid
Digitally signed by Praveen Kumar Kalla
Designation : REGISTRAR
Date: 2022.02.14 15:46:18 IST
Reason: Approved
Location:

National Technical Education Society
Secretary

Principal
Knowledge City School
ALWAR (Raj.)